न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 511/2026
सी0एन0आर0नं0– यू0पी0जे0पी0 010038712026

राममूरत यादव पुत्र स्व0 सियाराम यादव।
सा0मौ0–सिझवारा, थाना–केराकत, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–180/2026
धारा–105 भा0न्या0सं0
थाना–केराकत, जिला जौनपुर।

06.06.2026

आवेदक/अभियुक्त राममूरत यादव द्वारा मु0अ0सं0–180/2026, धारा–105 भा0न्या0सं0, थाना–केराकत, जिला जौनपुर के मुकदमें में जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा घनश्याम यादव के द्वारा एक तहरीर थाना केराकत पर इस आशय के साथ प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक 01.05.2026 समय 3.00 बजे के आस पास रास्ते का विवाद लगभग 3 वर्ष से चल रहा था जिस रास्ते पर प्रधान के द्वारा रास्ते को बनवाया जा रहा था। जिस रास्ते पर विवाद को लेकर राम सेवक यादव, राममूरत यादव, सचिन यादव, चन्दन यादव, के द्वारा उसके भाई को मारने के लिये दौड़ा लिये। खटिया उठाकर फेंक दिये। भाई अपनी जान बचाने के लिये भागना चाहे तब तक गिर गये और बेहोश हो गये। तब तक गांव वाले और घर वाले दौड़ाकर उठाये और हास्पिटल ले गये। जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिनका नाम राधेश्याम यादव उम्र 55 वर्ष है। उक्त आधार पर मामला पंजीकृत कराया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध अथवा मृत्यु कारित नहीं किया है। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है, आंख तथा अंगो से अक्षम है। प्रार्थी द्वारा मृतक को न तो मारा गया है और न ही कोई चक्षुदर्शी साक्षी है। प्रार्थी का मृतक से कोई दुश्मनी नहीं है, लिहाजा उसे मारने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। आवेदक को रंजिशन गलत व फर्जी तरीके से गलतफहमी व आशंका वश प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्त किया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 04.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथित अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध जैसे गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपने भाई को मारने के लिये दौड़ने व उसकी खटिया उठाकर फेंक देने का उल्लेख किया गया है तथा कथन किया गया है कि वह अपनी जान बचाने के लिये भागना चाहे तो वह गिर गये और बेहोश हो गये और जब उसके भाई को उठाकर डाक्टर को दिखाया गया तो डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में की गयी है। केस डायरी पर मृतक की कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक को 3 आन्तरिक चोटें आने का उल्लेख किया गया है—1- No marks of fresh external injury seen all over body surface area. 2- On opening chest right side of ribs 4^{th} to 7^{th} are fractured and lung parenchyma is lacerated with about 500ml blood present in thoracic cavity. 3- on opening chest left side of ribs 5^{th} to 8^{th} are fractured and lung parenchyma is lacerated with about 300ml blood present in thoracic cavity.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण—Due to hypovolumic shock and cardiopulmonary arrest as a result of antemortem chest injury अंकित है। मृतक को आयी चोटें (रिब्स का फ्रैक्चर) अभियुक्त के द्वारा पहुंचायी गयी हों, इसका कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसा कोई कथन वादी की ओर से किया गया है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 04.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

मामले के तथ्यो और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण—दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है, तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राममूरत यादव द्वारा मु0अ0सं0—180/2026, धारा— 105 भा0न्या0सं0, थाना—केराकत, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उसके द्वारा मु0—1,00,000/—रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूति सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 06.06.2026
नितिन कुमार/—

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।